समरण पत्र–1

संख्याः शिक्षा (प्रा0)एच0 (6)3–10/2020
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक शिमला– 171001 फरवरी, 2021

प्रेषित :–

1. समस्त उप निदेशक (उच्च शिक्षा),
हिमाचल प्रदेश ।
2. समस्त उप निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा),
हिमाचल प्रदेश ।

विषय :– "अटल स्कूल वर्दी योजना" के अन्तर्गत छात्र–छात्राओं को निःशुल्क वर्दियों के आवंटन वारे दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस निदेशालय के सम संख्यक पत्र संख्या दिनांक 11–12–2020 के सन्दर्भ में आपको एक वार पुनः सूचित किया जाता है, कि इस वर्ष "अटल स्कूल वर्दी योजना" के अन्तर्गत कक्षा पहली से बांहरवी के सभी छात्र–छात्राओं को निःशुल्क वर्दियों के दो–दो सेटस के आंबटन हेंतु L-I कम्पनी द्वारा निःशुल्क स्कूल वर्दियों की आपूर्ति पूर्ण कर ली गई है। अतः इस सन्दर्भ में आपको छात्र–छात्राओं में स्कूल वर्दियों के आंबटन हेतु निम्न दिशा– निर्देश जारी किए जाते हैः–

1. सभी उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा तथा उप निदेशक उच्च शिक्षा अपने–अपने जिले में आपूर्ति की गई स्कूल वर्दियों के सैटों को पूर्ण रूप से गणना करने के उपरान्त प्राप्त की गई वर्दियों के सेटों की सही–सही **stock entry** करना सुनिश्चित करें। इसके साथ–साथ प्रत्येक स्कूल स्तर पर भी स्कूल वर्दियों की **stock entry** तथा छात्र– छात्रा वार आंबटन का रिकार्ड भी तैयार करना सुनिश्चित करे।

2. विभाग द्वारा वर्दियों की सिलाई हेतू शिक्षा विभाग के सभी सम्बन्धित आहरण एवम् वितरण अधिकारियों(**DDO's**) को बांछित बजट का आवंटन इस निदेशालय द्वारा **Verification number 170-220-112020** के तहत दिनांक 07–11–2020 को किया गया है, जो कि विभाग की **Website:https://himachal.nic.in/index.php?lang=1&dpt_id=16** पर भी **upload** किया गया है। अतः आप सभी पात्र छात्र–छात्राओं को सरकार द्वारा निर्धारित 200/– रूपये प्रति छात्र–छात्रा सिलाई की धनराशि समय पर उनके बैंक खातों के माध्यम से आंबटन करना सुनिश्चित करे तथा आंबटित धनराशि का छात्र– छात्रा वार प्रत्येक स्कूल स्तर पर **APR's** का रिर्काड तैयार करना सुनिश्चित करें तथा उसके उपरान्त ब्यय की गई धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र (**utilization cetificate**) सभी सम्बन्धित कार्यालय को प्रषित करें।

3. उपरोक्त के अतिरिक्त सभी जिला के उप–निदेशक प्रारम्भिक एवम् उच्च शिक्षा को यह भी निर्देश दिये जाते है कि यदि प्रात्तकर्ता अधिकारी (Indenting officers i.e. BEEOs/GSSS Principals) के पास उनके अधीन आने वाली पाठशालाओं से स्कूल **वर्दियों की अतिरिक्त मांग**(additional demand) आती है या उनके पास **अधिशेष स्कूल वर्दियों के सेटस**(surplus uniform sets) प्राप्त हुऐ हो, तो उस स्थिति में आप अपने–अपने जिला स्तर पर वर्दियों का पाठशालाओं में **आन्तरिक**

समायोजन(internal adjustment) करना सुनिश्चित करें। यदि उसके उपरान्त भी आपके जिला में स्कूल बर्दियों की अतिरिक्त मांग हैं तो अतिरिक्त स्कूल वर्दियों के सैटस की मांग(additional demand) इस निदेशालय को **20–02–2021** तक भेजना सुनिश्चित करे ताकि इस सन्दर्भ में विभाग द्वारा शीघ्र अग्रिम कार्रवाई की जा सके।

कृप्या इसे अति आवश्यक और समयवद्ध समझे।

(शुभ करण सिंह, हि0प्र0से)
निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171001
ई मेल:**eleedu-hp@gov.com**
फोन न0-**0177-2812464**

पृष्ठांकन संख्या सम दिनांक फरवरी, 2021

प्रतिलिपि :–

1. सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002 को सूचनार्थ प्रेषित है ।
2. प्रबधंक निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ब्लाक न0 16–17, एस.डी.ए. कमर्शियल कमपलैक्स कसुम्पटी, शिमला–171009 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा हिमाचल प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वह भी अपने अधीनस्थ सभी पाठशालाओं के प्रमुखों को इस सम्बन्ध में उपरोक्त दिशा– निर्देश जारी करने की कृपा करें।
4. शाखा अधिकारी(आई0टी0सैल) से अनुरोध है कि वह इस पत्र को विभाग की Website में upload करने की कृपा करें।
5. रक्षक नस्ति।

प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय (हि.प्र.)
15 FEB 2021
शिमला–1

(शुभ करण सिंह, हि0प्र0से0)
निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171001
ई मेल:**eleedu-hp@gov.com**
फोन न0-**0177-2812464**